

7 8
24

पत्रावली चेखा इरी नदील प्राणी व प्राणी के आवाज
 लगाई गरी बार-बार आवाज लगाए के बावजूद भी
 वरील प्राणी व प्राणी न्यायालय में दालिद बही होने
 पर प्राणी का अवेहन अधिनियम 212 R.T. Act.
 का अहम कामरी अहम पेशी में खारिज किया जाना
 है। पत्रावली के सल कामर कामर नंबर से कम कामर
 दालिद हफतर है।

